

24.3.14

R-1094-114

TWENTY RUPEES

कमल सिंह तिवारी आयु 76 वर्ष आ0 स्व0 प्रद्युमन सिंह तिवारी निवासी कंचनपुर थाना वह
तह. मैहर, जिला सतना (म0प्र0) जरिये मुख्तारखास प्रणवशील तिवारी आयु 41 वर्ष आ0 कमल

सिंह तिवारी निवासी कंचनपुर थाना व तह. मैहर जिला सतना (म0प्र0)

11.3.2014 को
शुद्ध आज दिनांक 24.3.14
प्रस्तुत किया गया।

सिद्धर
सर्किट कोर्ट रोवा

निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. सुरेन्द्र गुप्ता पिता रामकिशोर गुप्ता उम्र 31 वर्ष
2. रीना गुप्ता पत्नी सुरेन्द्र गुप्ता उम्र 25 वर्ष दोनो निवासी ग्राम जमुनिहा पोस्ट केशवाही तहसील बुढार जिला अनूपपुर
3. सुरेन्द्र तिवारी उम्र 55 वर्ष तनय श्री रामनरेश तिवारी निवासी वार्ड क्र. 5 पुरानी बस्ती कोतमा, थाना व तह. कोतमा जिला अनूपपुर (म0प्र0)
4. उपेन्द्र तिवारी उम्र 50 वर्ष तनय श्री रामकृपाल तिवारी निवासी वार्ड क्र. 5 पुरानी बस्ती कोतमा, थाना व तह. कोतमा जिला अनूपपुर (म0प्र0)

गैर निगरानीकर्ता अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध ^{आदिवा} तहसीलदार

तहसील कोतमा जिला अनूपपुर के राजस्वप्रकरण

क्र 93/अ-6/2013-13

आदेश दिनांक 13.03.14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) का.मा. 1959

3 प्रणवशील तिवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी-1094-दो/2014

जिला अनूपपुर

कमलसिंह विरूद्ध सुरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 93/अ-06/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 13-03-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-03-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"</p> <p>4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका</p>	


04/02/19



के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

3

hujar
(आर.के. जैन) 04/02/19
सदस्य